

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र / 2 / 14—पाट

जयपुर, दिनांक 9 SEP 2014

—: आदर्श :—

श्री लखन सह माणा, वाहन चालक, कृषि गणना, राजस्व विभाग, जयपुर का उनको चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 14/2009 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2029 के आधार पर नियमानुसार किराये पर इस विभाग के आदेश प. 17(1)साप्र/2/2011 दिनांक 5.7.2014 के द्वारा आवंटित चतुर्थ श्रेणी राजकीय आवास संख्या 4/63, गांधीनगर के स्थान पर 4/49, गांधीनगर का निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है।

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन का ताथ स 8 दिवस में लिया जायगा। इस अवधे में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखतः निरस्त समझा जावगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कायमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जान/क्रय करन की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता का यह घोषणा करनी होगी :—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक को अवधे में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक को अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
  8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राज्यपाल जेन)

सयुक्त शासन सचिव

प्रातोलापे निम्नांकत का सूचनाथ एवं आवश्यक कायवाहो हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर।
4. निदेशक, कृषि गणना, राजस्व विभाग, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा० नि० विभाग/जन स्वा० अभि० विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० गांधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर।
8. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साइट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. सम्बन्धित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि आवास का कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवास रिक्त करने का श्रम करें।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।

4 ऑक्टूबर  
(मुन्नालाल शर्मा) 9/9/14  
सहायक शासन सचिव